अंत्योदय सरल

डिजिटल हरियाणा

हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम

महिला समृद्धि योजना (एन0एस0एफ0डी0सी0/ एन0एस0के0एफ0डी0सी0 के तहत स्वरोजगार आय सृजन योजना)

पात्रता :

एन0एस0एफ0डी0सी0 के तहत पात्रता :–

1. महिला
2. प्रार्थी अनुसूचित जाति और हरियाणा का स्थाई निवासी हो ।
3. प्रार्थी की आयु 18–45 वर्ष होनी चाहिये ।
4. कम से कम 50% आवेदकों की पारिवारिक वार्षिक आय 1.50 लाख रू0 तक और शेष 50% आवेदकों की पारिवारिक वार्षिक आय 3.00 लाख रू0 तक हो।

एन0एस0के0एफ0डी0सी0 के तहत पात्रता :–

1. महिला
2. आवेदक को सफाई कर्मचारी या उसका आश्रित होना चाहिये ।
3. स्थायी सफाई कर्मचारी का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को किसी सफाई के काम में लगे या कार्यरत होना चाहिये और उसके आश्रितों में शामिल होना चाहिये ।
4. आय की कोई सीमा नहीं है।
5. प्रार्थी की आयु 18–55 वर्ष तक होनी चाहिये ।

लाभ

अंत्योदय सरल

डिजिटल हरियाणा

1. परियोजना लागत सीमा – एन0एस0एफ0डी0सी0 के सहयोग से निगम विभिन्न आर्थिक विकास योजनाओं के लिये ऋण प्रदान करता है, जिसमें इकाई लागत 75,000/– रू0 तक हो सकती है तथा एन0एस0के0एफ0डी0सी0 के सहयोग से निगम विभिन्न आर्थिक विकास योजनाओं के लिये ऋण प्रदान करता है, जिसमें इकाई लागत 1,00,000/– रू0 तक हो सकती है ।
2. निगम योजना लागत का 10 प्रतिशत सीमान्त धन (मार्जन मनी) प्रदान करता है ।
3. भारत सरकार के दिशानिर्देशों अनुसार, निगम योजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में उपलब्ध करता है । अनुदान की अधिकतम सीमा 10,000/–रूपये है।

आवशयक दस्तावेज़

1. **पहचान/नागरिकता पहचान (निम्नलिखित में से कोई भी एक)**

   आधार कार्ड
2. **परिवार पहचान पत्र ।**
3. **निवास प्रमाण**

   राशन कार्ड
4. **जाति प्रमाण पत्र**

   - अनुसूचित जाति
   - सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया सफाई कर्मचारी या सफाई कर्मचारी पर आश्रित प्रमाण पत्र (जैसे स्कूल, कॉलेज, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुपालन, जिनका रैंक राजपत्रित अधिकारी से कम न हो), नगर निकाय/निगम के निर्वाचित सदस्य और ग्राम पंचायतों के प्रधान, स्थानीय राजस्व अधिकारी या स्थानीय नगरपालिका कार्यालय का कोई अधिकारी)

अंत्योदय सरल

डिजिटल हरियाणा

सेवा के लिए फीसें

सरकारी प्रभार	सेवा प्रभार	अटल सेवा केंद्र सेवा प्रभार
कोई खर्च नहीं	10/– रू0	10/– रू0

सेवा का अधिकार समय सीमा: सेवा का अधिकार के तहत 135 दिन है ।